न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/233

1. छोटूराम पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान
2. मोतीलाल पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. सोहनी बाई पत्नि नंदराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. महावीर पुत्र नंदराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम आस
3. दीपक पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. राजू उर्फ रामकिशन पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. रोशन पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. किस्मत देवी पत्नि राकिशन जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–
1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 01 से 06 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.11.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा वाद संख्या 250/प्रा0पत्र/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 1593 रकबा 0.3237 है0 , ख0सं0 1594 रकबा 0.024 है0, ख0सं0 1595 रकबा 0.0162 है0, ख0सं0 1596 रकबा 0.3723 है0, ख0सं0 1602 रकबा 0.0324 है0, 1794/1468 रकबा 0.0405 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8094 है0 वाके ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, जो जमाबंदी सम्बत् 2076 से 2079 खतौनी संख्या 318 में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम खातेदार में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार रामकिशन पुत्र नंदराम का निधन हो गया है। रामकिशन के वारिस प्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 है लेकिन रामकिशन का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार नंदराम जी थे और नंदराम जी वादग्रस्त भूमि पर ताजिन्दगी काबिज काश्त रहे है। नंदराम जी के निधन के बाद वादग्रस्त भूमि विरासत से प्रार्थीगण को प्राप्त हुयी है। प्रार्थीया सोहनी बाई तहसील कार्यालय हिण्डोली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से सेवानिवृत हुई है। प्रार्थीया के पति का देहांत हो गया है, साथ ही प्रार्थीया के पुत्र रामकिशन का भी देहांत हो गया है। प्रार्थीगण की उक्त परिस्थितियों का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करना चाहते है । उक्त वादग्रस्त भूमि पर कुआं खुदा हुआ है व घर बना हुआ तथा पेड पौधे लगे हुए है और फसल सुरक्षा के लिए पत्थर का कोट उत्तरी व पूर्वी दिशा में लगा हुआ है। पश्चिमी दिशा में बाड हो रही है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु पक्की सडक से भूमि खसरा संख्या 1598 में से होकर 15 फुट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज निरन्तर करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1596 के सहारे की सिवायचक कृषि भूमि खसरा संख्या 1598 छोटूराम ने अपने नाम आवंटन करवा ली, जो वर्तमान जमाबंदी में 1598/1731 के रूप में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी छोटूराम की भूमि के मध्य गत 30 वर्षो से अधिक समय से पत्थर का कोट लगा हुआ है। अप्रार्थी छोटूराम अपने पुत्र मोतीलाल के साथ मिलकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1596 पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी की भूमि के मध्य वर्षो से लगे हुए पत्थर के कोट को नष्ट करने, भूमि पर जबरन कब्जा करने पर तथा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को बंद करने पर आमादा है। जिस कारण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित भूमि ख0सं. 1593, 1594, 1595, 1596, 1602, 1794/1768 के किसी भी भूभाग पर जबरन कब्जा नहीं करने व प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने साथ ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 1596 व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1598/1731 के मध्य के लगे हुए पत्थर कोट को नष्ट नहीं करने तथा भूमि पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को नष्ट नहीं करने हेतु पाबंद किये जावें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए उक्त विवादित भूमियों के मध्य लगे कोट को नष्ट नहीं करने व प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को नष्ट नहीं करने व रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील अन्दर मियाद पेश हुई।रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 06 के नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 06 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी.पर सुनी गई। रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली में वास्तविक तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष लाने हेतु कुछ प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की प्रति व दोनों की भूमि के मध्य लगे हुए पत्थर के कोट के फोटोग्राफ तथा नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया, जो प्रश्नगत अपील से सम्बन्धित है। प्रस्तुत दस्तावेज अपील के न्यायिक निर्णय में सहायक है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया आवश्यक है। अन्त में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की भूमियों के मध्य वर्षो पुराना पत्थर का कोट लगा हुआ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने की अपनी सहमति व्यक्त की। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेखों व न्यायालय के दस्तावेजों की फोटोप्रतियां है। उक्त दस्तोवेजों का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। अतः हमारे मत में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27

राजस्व अपील प्राधिकारी

सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बरान् 1593, 1594, 1595, 1596, 1602, 1794/1668 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी में विस्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदार में दर्ज है। सहखातेदार रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 है। रामकिशन का इंतकाल नहीं खुला। पूर्व के खातेदार नंदराम जी थे, जो जीवन पर्यन्त काबिज रहे। उनकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण विरासत से काबिज है। प्रार्थी संख्या 1 वृद्ध महिला हैं, पति व पुत्र का देहांत हो जाने का फायदा उठाकर अप्रार्थी उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहते है, हमारी भूमि पर कुँआ बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए है। उत्तरी दिशा में पत्थर का कोट लगा हुआ है, पश्चिम में बाड़ हो रही है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1598 पक्की सड़क में से होकर 15 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। खसरा संख्या 1596 के सहारे सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1598 छोटूराम के नाम आवंटन है, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 1598/1731 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो के बीच कोट लगा हुआ हैं। छोटूराम ने मोतीलाल से मिलकर 1596 पर जबरन कब्जा कर लिया और भूमि पर लगे कोट को नष्ट कर रास्ते को बंद करने पर आमादा है। यदि रास्ता बंद कर दिया गया तो अपार क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पेश कर अकंन किया कि भूमियाँ बासनी में होना स्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खाते की भूमि के सहारे है। प्रार्थीया अपनी भूमि के सहारे होने से लाभ उठाकर अप्रार्थी की भूमि पर धीरे–धीरे कब्जा करने पर आमादा है और धीरे–धीरे अप्रार्थीगण की भूमि अपनी जमीन में मिलाती रही इसकी आपत्ति की तो भूमि स्वयं की होना बताया तब आपसी सहमति से सीमाज्ञान कराया गया और इस प्रकार धीरे–धीरे 2 बीघा भूमि अपनी होना बताकर प्रार्थीया ने अपने कब्जे में कर लिया और कोट लगा लिया। आपसी सहमति से सीमाज्ञान होने के उपरांत कब्जा छोड़ने के लिए कहा तो लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि को अपना होना बताकर कब्जा किया है और कब्जा नहीं छोड़ना चाहते है। सही तथ्य तो यह है कि प्रार्थीया सोहनी बाई तहसील कार्यालय की सेवानिवृत कर्मचारी होना बताकर अप्रार्थीगण को झूठे मुकदमो में फंसाने की धमकी देकर कब्जे को बनाये रखना चाहती है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है, इस सबंध में कब्जा प्राप्त करने के लिए काउन्टर क्लेम भी पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–05–2025 वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। जिस भूमि के सबंध में अपीलांटस् को पाबंद किया है वह भूमि खसरा संख्या 1598/1731 के खातेदार कृषक अपीलांट संख्या 1 है, खातेदार को पाबंद किया

जाने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र फोटो के आधार पर पुराना रास्ता होना मानकर निर्णय देने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है और जहाँ तक काश्तकारो के आपस में सहमति से एक दूसरे के खेत में आने जाने के लिए खेत खाली होने के समय आपस में आना जाना हो जाता है। यदि कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है तो रास्ता घोषित करवाने के लिए कानूनी प्रावधान बने हुए है। नियमानुसार राशियाँ जमा होती है, इसके अलावा यदि सुखाधिकार की बात करते है तो सुखाधिकार की घोषणा के लिए दीवानी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है इन सब बातों पर विचार नहीं करके क्षेत्राधिकार के बाहर रास्ता होना मानकर अपीलांटस् को पाबंद करने की भारी भूल की है। अपीलांटस् की ओर से विस्तृत तथ्यों के लिए काउन्टर क्लेम भी पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रमाणित हुए ही अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर सम्पूर्ण विवाद का ही निपटारा कर दिया है। अतः अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

7. रेस्पो0 क्रम 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए विधि सम्मत प्रकिया की पालना करते हुए निर्णय दिनांक 30.05.2025 द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदार में दर्ज है। सहखातेदार रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 है। रामकिशन का इंतकाल नहीं खुला। पूर्व के खातेदार नंदराम जी थे, जो जीवन पर्यन्त काबिज रहे। उनकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण विरासत से काबिज है। हमारी भूमि पर कुँआ बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1598 पक्की सड़क में से होकर 15 फुट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। खसरा संख्या 1596 के सहारे सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1598 छोटूराम के नाम आवंटन है, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 1598/1731 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो के बीच कोट लगा हुआ हैं। छोटूराम ने मोतीलाल से मिलकर 1596 पर जबरन कब्जा कर लिया और भूमि पर लगे कोट को नष्ट कर रास्ते को बंद करने पर आमादा है। जिस कारण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पर स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना न्यायालय का वक्त बर्बाद करने की मंशा को दर्शाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय तथा रेस्पोडेन्ट का समय बर्बाद करने की नियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कहे गए कथन पूर्णतया मिथ्या तथा बेबुनियाद है।

अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 01 लगायत 06 ने अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया गया कि भूमि खसरा नम्बरान् 1593, 1594, 1595, 1596, 1602, 1794/1668 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी में विस्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदार में दर्ज है। सहखातेदार रामकिशन की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान रेस्पो0 क्रम संख्या 03 लगायत 06 है। रामकिशन का इंतकाल नहीं खुला है। रेस्पोडेन्ट विरासत से काबिज काश्त करते आ रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की भूमि के मध्य वर्षो से लगे हुए पत्थर के कोट को नष्ट करने, भूमि पर जबरन कब्जा करने पर तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर आने जाने हेतु बने हुए रास्त को बंद करने पर आमादा है। जिस कारण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी किसी भी भूभाग पर जबरन कब्जा नहीं करने व रेस्पोडेन्ट को बेदखल नहीं करने साथ ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 1596 व अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 1598/1731 के मध्य लगे हुए पत्थर कोट को नष्ट नहीं करने तथा भूमि पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को नष्ट नहीं करने हेतु पाबंद किये जावें । अपीलांट ने कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 1598/1731 के खातेदार कृषक अपीलांट संख्या 01 है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पांबद किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 के अनुसार वाके ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के खाता संख्या नया 318 (खाता सं0 पुराना 294) मय खसरा नम्बर 1593 रकबा 0.3237 है0, 1594 रकबा 0.0243 है0, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.0162 है0, खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.3723 है0, खसरा नम्बर 1602 रकबा 0.0324 है0, खसरा नम्बर 1794/1468 रकबा 0.0405 है0 महावीर, रामकिशन पुत्र नन्दराम एवं सोहनी पत्नि नन्दराम जाति बलाई प्रत्येक का हिस्सा 1/3 दर्ज होना अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि होना दर्ज है। तथा उक्त बने हुए रास्ते को अपीलांट द्वारा नष्ट करने व पत्थर के कोट को हटाने से रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति की सभांवना बनी हुई है । जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धांत व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अतः हमारे मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 में प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया है, वह विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार का हस्तेक्षप करना

उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा